

UNDER SPEED POST

सेवा में,

सहायक लोक सूचना अधिकारी
भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
रेल भवन, नई दिल्ली - 110 001

26621 12/7
542 636882

विषय:- सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के धारा (6) (1) (3) के तहत अपील दिनांक 22.10.2011 के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन।

महाशय,

उक्त विषयक के आलोक में नम्र निवेदन है कि मेरी नियुक्ति ग्रुप 'डी' में विकलांग कोटा में सन् 2001 में पूर्व रेलवे कारखाना/जमालपुर में "विजुवल विकलांग" कोटा में हुई।

रेल सेवा के दौरान पहले मुझे द्वितीय श्रेणी का सुविधा पास, ~~एक~~ विधवा भों सहित मिलता था। पर, बाद में दो सेट सुविधा पास सरेगडर कम्पोजर में मान एक सेट प्रथम श्रेणी का सुविधा पास मिलने लगा जो सुविधा कि सन् 2008 तक मिला। और, जबकि मैंने सन् 2009 में प्रथम श्रेणी पास के लिये आवेदन किया जो, प्रथम श्रेणी सुविधा पास के स्थान, द्वितीय श्रेणी का सुविधा पास (सहचर रहित) जारी कर दिया गया। जबकि, अन्य "विकलांग" रेल कर्मी को प्रथम श्रेणी का सुविधा पास (सहचर सहित) मिल रहा था। जिसके लिये मैंने काफी पत्राचार किया। पर, उसका न तो कोई साकारत्मक जबाब मिला और न ही सुविधा पास ही।

परिणामस्वरूप, ~~सूचना~~ मुझे उक्त अपील (दिनांक 22.10.2010) रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) के पास माननीय सचिव महोदय, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)/रेल भवन, नई दिल्ली-110 001 को स्पीड पोस्ट के द्वारा दिनांक 05.11.2011 को भेजना पड़ा। क्योंकि, यह मामला रेलवे बोर्ड से सम्बन्धित था एवं है। किन्तु, काफी दुख के साथ मुझे यह शिकायत करना पड़ रहा है कि मेरे अपील दिनांक 22.10.2011 के प्रसंग में मुझे अभी तक कोई सूचना/जबाब मिली है/नतीजन, मेरा मामला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है।

अतः मैं अपने अपील दिनांक 22.10.2011 के वस्तुस्थिति के जानकारी उपलब्ध कराने हेतु इस आवेदन के साथ एक भारतीय पोस्टल आर्डर नं०- 04एफ 636882 (जो कि जमालपुर में डाकघर-811 214 द्वारा दिनांक 01.5.2012 को जारी की गई है), इस आवेदन के साथ भेज रहा हूँ।

कृपया, मेरे अपील दिनांक 22.10.2011 के अन्तिम निर्णय/आदेश की प्रतिलिपियों/सूचना उपलब्ध कराने का कृपा प्रदान कर मुझे अनुगृहीत करें।

सधन्यवाद।

आपका विश्वासी

अपील कर्ता सत्येन्द्र पंडित
टिकट नं०- 7284
केनमैन, पैटर्न शॉप
पूर्व रेलवे कारखाना, जमालपुर
के बाँचे अगूठे का निशान

दिनांक :- 05-07-2012

